

# न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक 10.12.2019

प्रकरण संख्या :- 127/2019 (2019/00319)

अन्तर्गत धारा :- 212 आर.टी.एक्ट

## शीर्षक

1. काजु पुत्री शंकर लाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रतन पत्नि श्री शंकर लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. तनवीर पुत्र शंकर लाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रतन पत्नि श्री शंकर लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

---प्रार्थीगण

## बनाम

1. शंकर लाल पुत्र पन्ना लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)। हाल विचाराधीन बंदी उप जिलाकारागृह, चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. मीठू लाल पुत्र पन्ना लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. कमला बाई पुत्री पन्नालाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. श्रीमती नानी बाई पत्नि स्व0 श्री पन्नालाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. माधु लाल पुत्र छोगा लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 श्री देबी लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. प्रेमी पुत्री श्री देबी लाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 श्री देबी लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. सीमा पुत्री श्री देबी लाल जाट जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 श्री देबी लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
9. अण्छी पुत्री श्री देबी लाल जाट जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गंगा पत्नि स्व0 श्री देबी लाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
10. श्रीमती गीता पत्नि नानूराम पूर्विया (गाडरी) निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
11. मगनीराम पुत्र नारु जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
12. किशन लाल पुत्र नारु जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
13. गीता पुत्री जेठा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
14. श्रीमती चांदी पत्नि स्व0 श्री जेठा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
15. हरलाल पुत्र श्री हेमा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
16. बदामी पुत्री हेमा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

राज्यक-कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज0)

17. शांति पुत्री हेमा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
18. रखा पुत्री हेमा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
19. श्रीमती किशोरी बेवा हेमा जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर भीलवाड़ा (राज0)।
21. उपपंजीयक सहाड़ा , मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।
22. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
23. आई0सी0आई0सी0आई बैंक लिमिटेड शाखा पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री सुनिल कुमार जैन  
पैरोकार सरकार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.03.2021


प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वादपत्र प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जो जैर कार्यवाही है। प्रस्तुत वादपत्र काफी ठोस एवं मजबूत आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री होगा।

यह है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 एक शंकर लाल जाट के जायन्दा पुत्र, पुत्री होकर पन्ना पुत्र श्री छोगा जाट के पौत्र, पौत्री होकर प्रथम श्रेणी के विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

यह है कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात सरहद सातलियास पटवार हल्का सातलियास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में स्थित है, जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है।

भाग -अ खाता संख्या 125 में स्थित आराजी नं0 693 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 694 रकबा 0.24 हे0 कुल कित्ता 02 रकबा 0.44 हे0।

भाग -ब खाता संख्या 35 में स्थित आराजी नं0 7 रकबा 0.69, आराजी नं0 8 रकबा 1.12 हे0, आराजी नं0 9 रकबा 1.09 हे0, आराजी नं0 10 रकबा 0.01 हे0, आराजी नं0 13 रकबा 1.00 हे0, आराजी नं0 14 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 808 रकबा 0.12 हे0, आराजी नं0 819 रकबा 0.08 हे0, आराजी नं0 820 रकबा 0.08 हे0, आराजी नं0 822 रकबा 0.40 हे0, आराजी नं0 1173 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 1174 रकबा 0.30 हे0, आराजी नं0 1175 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 1213 रकबा 0.01 हे0, आराजी नं0 1214 रकबा 0.21 हे0, आराजी नं0 1215 रकबा 0.02 हे0 कुल कित्ता 16 रकबा 5.69 हे0।

  
सहायक कलेक्टर  
(आयुक्त अधिकारी)  
राजस्थान भीलवाड़ा (राज0)

भाग स खाता संख्या 36 में आराजी नं० 1168/1 रकबा 0.22 हे० कुल किता 01 रकबा 0.22 हे०।

भाग द खाता संख्या 32 में आराजी नं० 807 रकबा 0.01 हे० गै० मु० चाह कुल किता 01 रकबा 0.01 हे०।


भाग य खाता संख्या 34 में आराजी नं० 349 रकबा 1.97 हे०, आराजी नं० 357 रकबा 0.43 हे० कुल किता 02 रकबा 2.40 हे०।

भाग र खाता संख्या 188 में आराजी नं० 1 रकबा 3.73 हे०, आराजी नं० 2 रकबा 1.39 हे०, आराजी नं० 5 रकबा 2.23 हे०, आराजी नं० 6 रकबा 0.68 हे०, आराजी नं० 11 रकबा 1.29 हे०, आराजी नं० 11/650 रकबा 0.61 हे०, आराजी नं० 12 रकबा 0.16 हे०, आराजी नं० 15 रकबा 1.69 हे०, आराजी नं० 15/1651 रकबा 1.90 हे०, आराजी नं० 16 रकबा 3.05 हे०, आराजी नं० 18 रकबा 0.06 हे०, आराजी नं० 19 रकबा 0.23 हे०, आराजी नं० 34 रकबा 0.08 हे० कुल किता कुल किता 13 रकबा 17.10 हे०।

उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के दादा पन्ना पुत्र छोगा जाट की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 28.06.2016 के विरासतन विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज हुई है। उक्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात होकर प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है।

यह कि उक्तानुसार भाग संख्या अ,ब,स, द में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के दादा का 1/3 हक हिस्सा है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/36 , 1/36 कुल किता 1/18 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/36 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हक हिस्सा व भाग-य में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण की परदादी की विरासत से विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 को 1/12 हक हिस्सा प्राप्त हुआ , जिसके अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/144 , 1/44 कुल 1/72 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/144 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा है व भाग-र में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की परदादी किशोरी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण के दादा का 1/9 हक हिस्सा निहित है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/108 , 1/108 कुल 1/54 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/108 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 02 लगायत 04 प्रत्येक का 1/36 , 1/36 हक हिस्सा निहित है। इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण काविज है।

यह कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है, राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने व प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या 01 के ही नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 01 खुर्द बुर्द करने पर आगादा है। जिसे रोका जाने व प्रार्थीगण के हक हिस्से की रक्षार्थ हेतु उक्त वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वादपत्र पेश करने की नोबत पेश आई है व विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण के हक हिस्से को रहन , विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई हक अधिकार भी नहीं है।

  
सहायक अधिकारी  
सिपाय किला बीलवाडा (सिपाय 3)

यह है कि यदि विपक्षी संख्या 01 अन्य लोगों के साथ मार्फत प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगा व विपक्षी संख्या 01 के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन , विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगे। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

यह कि वादीगण प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर देगे व आराजियात को किसी अन्य को रहन , विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि प्रार्थीगण को ग्राम सातलियास पटवार हल्का सातलियास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में भाग -अ खाता संख्या 125 में स्थित आराजी नं0 693 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 694 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.44 हे0। भाग -ब खाता संख्या 35 में स्थित आराजी नं0 7 रकबा 0.69, आराजी नं0 8 रकबा 1.12 हे0, आराजी नं0 9 रकबा 1.09 हे0, आराजी नं0 10 रकबा 0.01 हे0, आराजी नं0 13 रकबा 1.00 हे0, आराजी नं0 14 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 808 रकबा 0.12 हे0, आराजी नं0 819 रकबा 0.08 हे0, आराजी नं0 820 रकबा 0.08 हे0, आराजी नं0 822 रकबा 0.40 हे0, आराजी नं0 1173 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 1174 रकबा 0.30 हे0, आराजी नं0 1175 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 1213 रकबा 0.01 हे0, आराजी नं0 1214 रकबा 0.21 हे0, आराजी नं0 1215 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 16 रकबा 5.69 हे0। भाग स खाता संख्या 36 में आराजी नं0 1168/1 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 01 रकबा 0.22 हे0। भाग द खाता संख्या 32 में आराजी नं0 807 रकबा 0.01 हे0 गै0 मु0 वाह कुल किता 01 रकबा 0.01 हे0। भाग य खाता संख्या 34 में आराजी नं0 349 रकबा 1.97 हे0, आराजी नं0 357 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 02 रकबा 2.40 हे0। भाग र खाता संख्या 188 में आराजी नं0 1 रकबा 3.73 हे0, आराजी नं0 2 रकबा 1.39 हे0, आराजी नं0 5 रकबा 2.23 हे0, आराजी नं0 6 रकबा 0.68 हे0, आराजी नं0 11 रकबा 1.29 हे0, आराजी नं0 11/650 रकबा 0.61 हे0, आराजी नं0 12 रकबा 0.16 हे0, आराजी नं0 15 रकबा 1.69 हे0, आराजी नं0 15/1651 रकबा 1.90 हे0, आराजी नं0 16 रकबा 3.05 हे0, आराजी नं0 18 रकबा 0.06 हे0, आराजी नं0 19 रकबा 0.23 हे0, आराजी नं0 34 रकबा 0.08 हे0 कुल किता कुल किता 13 रकबा 17.10 हे0 भूमि को विपक्षी संख्या एक न तो विक्रय करें, न रहन रखें, न बय बक्षीस करें एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई अन्तरण करें साथ ही विपक्षी संख्या 21 को पाबंद कराया जावे कि विपक्षी संख्या एक किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र, दानपत्र , बय बक्षीस या अन्य को कोई भी दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करें। तथा विपक्षी संख्या 20 एवं राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

रहितक डलवेद  
(राज्य अतिरिक्त)  
जिला भीलवाड़ा (राज 0)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.12.2019 को बाजदायर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 लगायत 19 व 22, 23 बावजूद सूचना अनुपरिथत अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। परोकार सरकार उपस्थित। परोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया गया जो इस प्रकार है:-

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक व दो उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपने हक से महरूम हो जायेंगे, इसके मुकाबले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलन:- चूंकि वाद वर्णित आराजियात में पुश्तैनी कृषि आराजियात में खातेदारी हक से प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षति:- प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षीगण अन्य को हस्तान्तरित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

—:आदेश:-


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम सातलियास पटवार हल्का सातलियास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में भाग -अ खाता संख्या 125 में स्थित आराजी नं० 693 रकबा 0.20 हे०, आराजी नं० 694 रकबा 0.24 हे० कुल किता 02 रकबा 0.44 हे०। भाग -ब खाता संख्या 35 में स्थित आराजी नं० 7 रकबा 0.69, आराजी नं० 8 रकबा 1.12 हे०, आराजी नं० 9 रकबा 1.09 हे०, आराजी नं० 10 रकबा 0.01 हे०, आराजी नं० 13 रकबा 1.00 हे०, आराजी नं० 14 रकबा 0.20 हे०, आराजी नं० 808 रकबा 0.12 हे०, आराजी नं० 819 रकबा 0.08 हे०, आराजी नं० 820 रकबा 0.08 हे०, आराजी नं० 822 रकबा 0.40 हे०, आराजी नं० 1173 रकबा 0.20 हे०, आराजी नं० 1174 रकबा 0.30 हे०, आराजी नं० 1175 रकबा 0.16 हे०, आराजी नं० 1213 रकबा 0.01 हे०, आराजी नं० 1214 रकबा 0.21 हे०, आराजी नं० 1215 रकबा 0.02 हे० कुल किता 16 रकबा 5.69 हे०। भाग स खाता संख्या 36 में आराजी नं० 1168/1 रकबा 0.22 हे० कुल किता 01 रकबा 0.22 हे०। भाग द खाता संख्या 32 में आराजी नं० 807 रकबा 0.01 हे० गै० मु० चाह कुल किता 01 रकबा 0.01 हे०। भाग य खाता संख्या 34 में आराजी नं० 349 रकबा 1.97 हे०,

आदेश  
न्यायालय  
सहाड़ा जिला  
भीलवाडा

आराजी नं० 357 रकबा 0.43 हे० कुल किता 02 रकबा 2.40 हे०। भाग र खाता संख्या 188 में आराजी नं० 1 रकबा 3.73 हे०, आराजी नं० 2 रकबा 1.39 हे०, आराजी नं० 5 रकबा 2.23 हे०, आराजी नं० 6 रकबा 0.68 हे०, आराजी नं० 11 रकबा 1.29 हे०, आराजी नं० 11/650 रकबा 0.61 हे०, आराजी नं० 12 रकबा 0.16 हे०, आराजी नं० 15 रकबा 1.69 हे०, आराजी नं० 15/1651 रकबा 1.90 हे०, आराजी नं० 16 रकबा 3.05 हे०, आराजी नं० 18 रकबा 0.06 हे०, आराजी नं० 19 रकबा 0.23 हे०, आराजी नं० 34 रकबा 0.08 हे० कुल किता कुल किता 13 रकबा 17.10 हे० भूमि को विपक्षी संख्या एक न तो विक्रय करें, न रहन रखें, न बय बक्षीस करें एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई अन्तरण करें साथ ही विपक्षी संख्या 21 विपक्षी संख्या एक द्वारा किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र, दानपत्र, बय बक्षीस या अन्य को कोई भी दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करें। तथा विपक्षी संख्या 20 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने दें।

आदेश दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(विकास पंचायती)  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर